Jharkhand Renewable Energy Development Agency

(State Govt. Agency Under Department of Energy, Jharkhand)

पत्रांक 2381/2022 राँची, दिनांक 25/11/2022

अत्यावश्यक
रजिस्टर्ड एवं ई–मेल द्वारा

सेवा में,

M/s VRG Energy Industries Pvt. Ltd.,
Plot No. G.2119, GIDC Metoda,
Kishan Guto-3, Kadvana, Forcising Road,
Near Galaxy Stamping Metoda, Rajkot-360021 (Gujarat)
e-mail :- info@vrgenergy.com, vrgenergy@gmail.com

विषय :– ज्रेडा कार्यादेश संख्या 10/2022 दिनांक 02.06.2022 निरस्तीकरण एवं Contract Performance Gaurantee (CPG) के रूप में समर्पित बैंक गारंटी को जब्त किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :–

1. ज्रेडा कार्यादेश संख्या 10/2022 दिनांक 02.06.2022
2. ज्रेडा पत्रांक 1475/2022 दिनांक 19.07.2022
3. ज्रेडा एकरारनामा संख्या 91/JREDA/PM-KUSUM(Phase-II)/2022-23 दिनांक 03.08.2022
4. ज्रेडा ई–मेल दिनांक 03.09.2022
5. ज्रेडा पत्रांक 1854/2022 दिनांक 09.09.2022 एवं पत्रांक 2145/2022 दिनांक 02.11.2022
6. Ahmedabad, Gujrat एवं Ranchi Edition के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपके नाम से जारी नोटिस

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि ज्रेडा कार्यादेश संख्या 10/2022 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से आपको **कुल 350 अदद** 2HP/3HP/5HP (AC/DC) Category में Solar Water Pumpset के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्यादेश निर्गत किया गया है।

कार्यादेश कंडिका 3 के अनुपालन में आपके द्वारा 15 दिनों के अन्दर (दिनांक 17.06.2022) Contract Performance Gaurantee (CPG) के रूप में बैंक गारंटी समर्पित करते हुए कार्यादेश कंडिका 4 के तहत एकरारनामा किया जाना था, जबकि ज्रेडा द्वारा आपको पत्रांक 1475/2022 दिनांक 19.07.202 के माध्यम से चेतावनी दिये जाने के बाद आपके द्वारा दिनांक 28.07.2022 को समतुल्य राशि का बैंक गारंटी की मूल प्रति समर्पित किया गया तद्नुसार कार्यादेश निर्गत तिथि से तीन माह के विलम्ब के साथ दिनांक 03.08.202 को एकरारनामा किया जा सका है।

उक्त के अतिरिक्त कार्यादेश कंडिका 1.5 के अनुपालन में आपके द्वारा कृषकों के यहाँ सर्वेक्षण कराते हुए ज्रेडा कार्यालय में समर्पित किया जाना था तथा कार्यादेश कंडिका 6 के अनुपालन में सोलर उपस्कर तैयार कराते हुए Pre-Dispatch Inspection हेतु अनुरोध पत्र 30 दिनों के अन्दर समर्पित किया जाना था जो कार्यादेश निर्गत के 4 माह के बाद भी अबतक आपके द्वारा समर्पित नही किया गया है, जबकि आपको ज्रेडा ई–मेल दिनांक 03.09.2022 के माध्यम से भी उक्त आशय के संबंध में निदेशित किया जा चुका है।

ज्रेडा पत्रांक 1854/2022 दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से आपको 15 दिनों (दिनांक 23.09.2022) एवं पुनः ज्रेडा पत्रांक 2145/2022 दिनांक 02.11.2022 के माध्यम से 15 दिनों (दिनांक 18.11.2022) के अन्दर कार्यादेश के तहत कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी करते हुए निदेशित किया गया साथ ही ऐसा नही किये जाने पर कार्यादेश को रद्द कर Contract Performance Guarantee (CPG) को जब्त करते हुए एजेन्सी को काली सूची में डालने की चेतावनी दी गयी।

उक्त के अतिरिक्त ज्रेडा द्वारा Ahmedabad, Gujrat एवं Ranchi Edition के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपके नाम से 15 दिनों का नोटिस जारी करते हुए उक्त आशय के संबंध में चेतावनी दी गयी किन्तु आपके द्वारा अब तक कोई स्पष्टीकरण समर्पित नही किया गया है। उक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा न ही Pre-Dispatch Inspection हेतु अनुरोध पत्र समर्पित किया गया है न ही सेर्वेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य घोर लापरवाही का द्योतक है और यह स्पष्ट करता है कि आपको उक्त कार्यादेश के तहत कार्य करने में कोई रूची नही है।

MNRE द्वारा भी Memorandum संख्या 32/645/2017-SPV Division दिनांक 02.11.2022 भी सभी स्टेट नोडल एजेंसियों को Defaulter Agencies पर Blacklisting की कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है।

अतः उक्त मार्गनिर्देशिका एवं कार्यादेश कंडिका 16 a) & b) के आलोक में आपको निर्गत कार्यादेश संख्या 10/2022 दिनांक 02.06.2022, एकरारनामा संख्या 91/JREDA/PM-KUSUM(Phase-II)/2022-23 दिनांक 03.08.2022 को निरस्त करते हुए आपको 2 वर्ष के लिये Blacklist (काली सूची) में डाला जाता है तथा आपके द्वारा Contract Performance Gaurantee (CPG) के रूप में समर्पित बैंक गारंटी संख्या 57800IGL0001422 दिनांक 02.07.2022 वैधता दिनांक 10.06.2023 रू0 14,67,426/– (चौदह लाख सरसठ हजार चार सौ छब्बीस) मात्र को जब्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक 2381/2022 राँची, दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. श्री जे.के.जेठानी, वैज्ञानिक –F, एम.एन.आर.ई., लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. All State Nodal Agencies of India को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. लेखा शाखा, ज्रेडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक